# वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 254/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-16.07.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 16.07.2025 को ***आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-***

***01.थाना-सरायमीरः-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार***

***घटना का संक्षिप्त विवरणः-***

दिनांक 30.06.2025 को अनुमोदित शुदा गैंग चार्ट व तहरीर प्र0नि0 दिनांकित 30.06.2025 गैंग लीडर रामदरश उर्फ देवा पुत्र स्व0 रविशंकर निवासी पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने अपने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आर्थिक , भौतिक दुनियाबी लाभ के लिए एक संगठित आपराधिक मोटरसाईकिल का नम्बर प्लेटो के साथ हेराफेरी कर , अधेड़ उम्र के महिलाओं को लालच देकर / झांसे में लेकर रूमाल में कागज लपेटकर रूपयो की गड्डी बताकर धोखे से महिलाओ के गहने उतरवाकर चोरी करने / टप्पेबाजी करने का गिरोह कायम कर रहा हैं, जो जनपद स्तर पर सक्रिय हैं। इनके इस कृत्य से आम जनमानस में काफी भय व आतंक का माहौल व्याप्त है, के आधार पर मु0अ0सं0 304/2025 धारा 2(ख)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम 1.रामदरश उर्फ देवा पुत्र स्व0 रविशंकर निवासी पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, 2. विजयभान पुत्र बहादुर राम ग्राम पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ , 3. रोशन उर्फ उजागिर पुत्र जंगबहादुर ग्राम सिंगारपुर थाना दीदारगंज आजमगढ़ 4. दिलीप कुमार उर्फ सोनू पुत्र शोभनाथ ग्राम पारा, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ , 5. मोहम्मद दानिश पुत्र इसरार अहमद सा0 सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ , 6. सूरज सोनी पुत्र शेषनाथ सोनी हामु0 भेड़िया थाना फूलपुर आजमगढ़ स्थाई पता - मंगल बाजार गल्ला मण्डी कस्बा व थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है।

***गिरफ्तारी का विवरणः-***

**आज** दिनांक 15.07.2025 प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित गैंगेस्टर एक्ट का अभियुक्त सूरज सोनी पुत्र शेषनाथ सोनी साकिन भेडिया थाना फूलपुर आजमगढ़ को करछा बार्डर के पास समय करीब 18.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

***गिरफ्तार अभियुक्तः-***

01. सूरज सोनी पुत्र शेषनाथ सोनी हामु0 भेड़िया थाना फूलपुर आजमगढ़ स्थाई पता मंगल बाजार गल्ला मण्डी कस्बा व थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

***आपराधिक इतिहासः-***

01. मु0अ0सं0 304/2025 धारा 2(ख)(I)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

02.मु0अ0सं0 431/2024 धारा 303(2),317(2),317(4),3(5) बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-***

01.प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

02. का0शशिकान्त तिवारी, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

03.का0 आशु सिद्दीकी , थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

04.म0का0 संजू सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

**02.थाना-फूलपुर- गलती से दूसरे के खाते में गये हुए 33,500 रूपये, आवेदक के खाते में वापस कराया गया।**

***घटना का संक्षिप्त विवरण-***

दिनांक 10.07.2025 को आवेदक अफ्फान पुत्र जैद निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय के साइबर हेल्पडेस्क पर लिखित प्रा0पत्र दिया गया कि दिनांक 15.04.2025 को विद्यालय की फीस भेजते समय गलती से 33,500 रू0 गलत खाते में चला जाना व जिस खाते में पैसा गया था उसके मो0नं0 पर बात करने पर व्यक्ति द्वारा पैसा वापस न करना। उक्त प्रा0पत्र की जाँच साइबर हेल्पडेस्क फूलपुर द्वारा की गयी तो ज्ञात हुआ कि आवेदक का कटा उपरोक्त 33,500 रू0 जयपुर के प्रीति अग्रवाल के खाते में चला गया है। विधिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 15.07.2025 को आवेदक को 33,500 रू0 रूपये वापस करा दिया गया है।

***रूपया वापसी का विवरण:-***

आवेदक अफ्फान पुत्र जैद निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर आजमगढ़ के गलती से ट्रान्सफर हुए 33,500 रू0 के सम्बन्ध में आरक्षी दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर आवेदिका का विवरण निकलवाकर आवेदिका व शाखा प्रबन्धक से जरिये दूरभाष/इमेल सम्पर्क कर आवेदक अफ्फान के खाता मे दिनांक 15.07.2025 को 33,500/- रूपया (REFUND) अवमुक्त कराया जा चुका है।

***बरामदगी करने वाली साइबर टीम का विवरण:-***

1.उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय थाना फूलपुर जनपद आजमगढ।
2. आरक्षी दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा थाना फूलपुर जनपद आजमगढ।

***03.थाना-अहरौला:- हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार***

***पूर्व की घटना का विवरण/गिरफ्तारी का विवरण:-***

दिनांक 15.07.2025 आवेदक अमित कुमार पुत्र स्व गामा प्रसाद ग्राम निकासपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर हाल मुकाम ग्राम निजामपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ थाना स्थानीय पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरा निजामपुर देशी शराब ठेके के बगल में मकान है, मकान में ही गुटखा व चखना की दुकान किया हूं। दिनांक 14.07.2025 को साय करीब 4:00 से 6:00 बजे के बीच में धीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व राम दुलार ग्राम तेन्दुआई कला थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर शराब लेकर आया और मुझसे कहा कि दो मिनट यहां बैठकर मैं शराब पी लू मैंने कहा कि पी लो शराब पीते समय उसने मुझे भी शराब दिया पीने के लिये और मैंने भी थोड़ी शराब पी ली उसके बाद मैं अपने घर के अन्दर करीब आधे घंटे बाद कुछ काम के लिये गया उस समय मेरे घर में और कोई नहीं था कि उक्त व्यक्ति जिसने मुझे शराब पिलाया था एकाएक मेरे घर में घुस गया और मुझे तख्ता पर गिराकर मेरा मुंह दबाकर मेरा गला चाकू से काटने की कोशिश करने लगा पहली बार में गर्दन हिलने की वजह से उसका चाकू फिसल गया और हल्का कटने का निशान पड़ा उसके बाद उसने दोबार मुझे कस करके पकड़ा और मेरी गर्दन को काट दिया और बोला कि मुझे अंजनी पुत्र गामा प्रसाद ग्राम निकसपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर ने तुम्हारा गला काटने के लिये बोला है कि गर्दन कटने में मेरी काफी तेज चीख निकली जिसे सुनकर बाहर दुकान पर बैठा मेरा लड़का शक्तिमान अन्दर भागकर आया और मेरा गला कटा देखा तो उक्त व्यक्ति को पकड़ने के लिये दौड़ा लेकिन वह व्यक्ति भागने लगा कि शोर पर अगल बगल के लोगों ने किसी तरह से उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया और मुझे प्राइवेट गाड़ी में फूलपुर स्थित ताहिर हास्पिटल में भर्ती करवाया जहाँ पर मेरा इलाज चल रहा है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 278/25 धारा 118(2)/333 बी.एन.एस बनाम 1. धीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० राम दुलार ग्राम तेन्दुआई कला, थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर 2. अंजनी पुत्र गामा प्रसाद ग्राम निकसपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में मुकदमा उपरोक्त में धारा 118(2) बीएनएस की घटोत्तरी करते हुए धारा 109/61(2) बीएनएस की बढोत्तरी किया गया, मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना धारा 109/333/61(2) बीएनएस मे की जाएगी।

***पूछताछ का विवरण:-***

धीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामदुलार निवासी तेन्दुआई कला थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर उम्र करीब 58 वर्ष द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मेरा दोस्त अंजनी पुत्र गामा प्रसाद निवासी ग्राम निकसपुर थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकरनगर है। अंजनी का अपने छोटे भाई अमित कुमार उर्फ गुड्डू से पारिवारिक जमीन व पैसे को लेकर आपसी विवाद चल रहा है जिस कारण अंजनी पुत्र गामा प्रसाद ने मुझे अपने भाई को जान से मारने के लिए कहा था उन्ही के कहने पर जान से मारने की नियत से अमित कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र गामा प्रसाद निवासी निकसपुर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर ,हाल मुकाम ग्राम निजामपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के घर मे घुसकर उसका चाकू से गला काट रहा था कि उसके चिल्लाने की आवाज पर उसके लड़के ने सुन लिया पकड़े जाने के डर से मै वहां से भाग निकला बाद मे गांव के लोगो ने मुझे पकड़ लिया और पुलिस बुलाकर थाने पर भेज दिया।

***पंजीकृत अभियोग-***

01. मु0अ0स0 278/25 धारा 109/333/61(2) बी.एन.एस थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-***

धीरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामदुलार निवासी तेन्दुआई कला थाना राजेसुल्तानपुर जिला अम्बेडकर नगर उम्र करीब 58 वर्ष ।

***आपराधिक इतिहास-***

01.मु0अ0सं0 137/2015 धारा 302/201/404/34 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-***

01. उ0नि0 सुधीर कुमार सिंह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।
02. हे0का0 इन्द्रमणि पटेल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

***थाना – निजामाबाद जनपद आजमगढ़***

***साइबर फ्राड के 20,000 रूपये वापस कराया गया***

***पूर्व की घटना:-***

दिनांक 17.05.25 को आवेदक मनीष कुमार के मित्र रामाज्ञा पुत्र राम कवल निवासी रेवरापरवेजपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ जो कि वर्तमान समय में सऊदी में नौकरी कर रहें हैं के घर फोन आया कि गलती से उनके खाते में 20,000 रूपये भेज दिया है वह अभी अस्पताल में है उसे तत्काल पैसै की आवश्यकता है। इस बात पर पीड़ित द्वारा तत्काल फोन करने वाले व्यक्ति के पास 20,000 रूपये भेज दिया। परन्तु जब खाते में बैलेंस चेक किया तो कोई पैसा नही आया था। कई बार उक्त मो0नं0 पर फोन करने के बाद जब पैसे वापस नही आया तो पीड़ित द्वारा अपने मित्र मनीष के माध्यम से 26.05.25 को साईबर हेल्प लाइन नं0 1930 के माध्यम से शिकायत सं0 23105250076562 पंजीकृत करवाया गया था। जिसके बाद NCRP पोर्टल के माध्यम से फ्राड के सभी पैसै फ्राडस्टर के मुंगेर बाजार बिहार में स्थित SBI बैंक एकाउन्ट में होल्ड करावा दिया गया।

➡ उक्त शिकायत पर थानाध्यक्ष हिरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए योगेन्द्र यादव द्वारा संबन्धित बैंक मैनेजर से संपर्क कर आवेदक के खाते में साइबर फ्राड के 20,000 रूपये वापस कराया गया। जिसपर आवेदक द्वारा पुलिस के प्रति आभार प्रगट किया गया।

***साइबर टीम निजामाबाद-***

1. उ0नि0 उमेश सिंह
2. क0ऑ0 योगेन्द्र यादव
3. का0 सुधाकर सिंह

***थाना रौनापारः-थाना रौनापार का हिस्ट्रीशीटर और थाना कोतवाली आजमगढ़ का 10,000/- रू0 का वांछित ईनामिया समेत 02 अन्य अभियुक्त चोरी की 02 अदद मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार।***

***पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण–***

वादी श्री प्रदीप कुमार पुत्र रामजीत निवासी ग्राम कांखभार थाना रौनापार जिला आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र कि दिनांक 12.07.2025 को दिन में समय करीब 11- 12 बजे के बीच देशी शराब का ठेका वहद ग्राम कांखभार से खुद की मोटर साईकिल UP54P4920 चोरी हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक 15.07.2025 को मु0अ0सं0 266/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री विवेक सिंह द्वारा प्रचलित है दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1. जयहिन्द यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी नई बस्ती बालाजानी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. आकाश पटेल पुत्र उदयराज पटेल उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बैजाबारी  थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 3. अरमान अहमद पुत्र समीउल्ला उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बैजाबारी बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया जिनकी गिरफ्तारी आज दिनाक 16.07.2025 को वहद ग्राम सहनूपुर पुलिया थाना रौनापार आजमगढ़ से समय करीब 01.25 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी अभियुक्तगण व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरी की गई व अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय भेजा गया। अग्रिम विवेचना जुर्म धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में की जायेगी।

***गिरफ्तारी का विवरण-***

थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल, उ0नि0 विवेक सिंह, उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम सहनूपुर से समय करीब 01.25 बजे रात्रि में मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. जयहिन्द यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी नई बस्ती बालाजानी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 2. आकाश पटेल पुत्र उदयराज पटेल निवासी ग्राम बैजाबारी  थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 3. अरमान अहमद पुत्र समीउल्ला निवासी ग्राम बैजाबारी बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया व उनकी निशादेही पर चोरी की मोटरसाईकिल बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी किया गया।

***पूछताछ का विवरण–***

गिरफ्तार अभियुक्तगण पूछताछ पर बता रहे है कि साहब चोरी की मोटरसाईकिल UP54P4920 को हम लोगो ने दिनांक 12.07.2025 को कांखभार देशी शराब की दुकान से चोरी किया था जिसको बेचने के लिए ले जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड़ लिया तथा कड़ाई से पुछताछ पर बता रहे है कि दिनांक 26.05.2025 को ब्रह्म स्थान मन्दिर से एक लाल काली बुलेट जिसका नम्बर UP50BC4915 भी हम तीनो ने ही मिलकर चुराया था। जिसका नम्बर प्लेट हम लोग थोडा दूर एक गाँव के पास निकालकर फेंक दिये थे और उसकी लाल रंग की टंकी को हम लोगो ने बदल कर काली रंग की लगवा दिये थे। हम लोग उस बुलेट को बेचने के फिराक में थे लेकिन पता चला कि रास्ते में भीमबर बाजार में कुछ पुलिस वाले चेकिंग कर रहे है जिसके डर से हम लोग चोरी की गई बुलेट को वही मन्दिर से दूर भीमबर पुलिया से रसूलपुर नन्दलाल वाले रोड पर मार्हाकर्मनाथपट्टी गाँव के पास चुपके से खडी कर भाग गये थे और उस दिन हम लोग बच निकले थे लेकिन आज पकड़े गए।

***पंजीकृत अभियोग-***

मु0अ0सं0 266/25 धारा 303(2)/317(2) बी.एन्.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

***आपराधिक इतिहास-***

***A. जयहिन्द यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी नई बस्ती बालाजानी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।***

1. मु0अ0सं0 266/25 धारा 303(2)/317(2) बी.एन्.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 193/25 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 184/24 धारा 305(a)/317(2)/331(4) बी.एन.एस थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ।

4. मु0अ0सं0 368/24 धारा **34/379/411/413 भादवि** थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

5. मु0अ0सं0 410/24 धारा 25/9/317(2)/317(4)/317(5)/318(4)/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ।

6. मु0अ0सं0 160/24 धारा 379/411 भादवि थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

7. मु0अ0सं0 190/24 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

8. मु0अ0सं0 191/24 धारा 411/413 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

9. मु0अ0सं0 191/24 धारा 411/413 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

10. मु0अ0सं0 223/2020 धारा 379/411 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

***B. आकाश पटेल पुत्र उदयराज पटेल निवासी ग्राम बैजाबारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।***

1. मु0अ0सं0 266/25 धारा 303(2)/317(2) बी.एऩ.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 193/25 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 226/2020 धारा 147/148/323/352/427/504/506 भादवि थाना रौनापार आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 14/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 06/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 446/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

***C. अरमान अहमद पुत्र समीउल्ला निवासी ग्राम बैजाबारी बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।***

1. मु0अ0सं0 266/25 धारा 303(2)/317(2) बी.एऩ.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 193/25 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ।

***गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-***

**1**. जयहिन्द यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी नई बस्ती बालाजानी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. आकाश पटेल पुत्र उदयराज पटेल निवासी ग्राम बैजाबारी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

3. अरमान अहमद पुत्र समीउल्ला निवासी ग्राम बैजाबारी बघावर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

***बरामदगी-***

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के पास से मु0अ0सं0 193/25 मे चोरी का 01 अदद मोटरसाईकिल बुलेट एक लाल काली बुलेट जिसका नम्बर UP50BC4915 व मु0अ0सं0 266/2025 से सम्बन्धित चोरी की एक एदद मोटरसाईकिल हीरो सुपर स्पलेन्डर जिसका नम्बर UP54P4920 बरामद किया गया।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-***

1. थानाध्यक्ष अनुपम जायसवाल थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. उ0नि0 विवेक सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का0 सिकन्दर यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
5. का0 विकाश कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
6. का0 अमन सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
7. का0 तबरेज थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
8. हे0का0 दिनेश कुमार यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

***गिरफ्तार अभियुक्त के सम्बन्ध मे इनाम घोषित कराने हेतु पूर्व मे रिपोर्ट प्रेषित किया गया है या नही-***

अभियुक्त जयहिन्द यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी नई बस्ती बालाजानी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उपरोक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ से 10,000/- रू0 का वांछित ईनामिया है व थाना रौनापार का HS नं0- 21बी है।

***गिरफ्तार अभियुक्त किसी गैंग का सदस्य है तो उसका विवरण-***

अभियुक्त जयहिन्द यादव पुत्र स्व0 सुरेश यादव निवासी नई बस्ती बालाजानी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ थाना रौनापार से H.S. है।